अध्याय I : भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

भारत हैवी इलेक्टिकलस लिमिटेड

1.1 भूमि का गैर-नियमितीकरण तथा पट्टा विलेख के क्रियान्वयन में विलम्ब

नोएडा में आवंटित क्षेत्र से अधिक रखी गई भूमि के 1.22 एकड़ के अवधारण पर निर्णय लेने में असामान्य विलम्ब से भेल पर ₹ 45.44 करोड़ का परिहार्य बोझ संभावित है। टाउनशिप के लिए पट्टा विलेख भूमि के अन्यथा वास्तविक शीर्षक से भेल को वंचित करके क्रियान्वित होना शेष है।

न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथोरिटी (नोएडा) ने 1.06 करोड़ (@ ₹ 175 /वर्गमीटर) के प्रीमियम पर सेक्टर 17, नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड (भेल) को 15 एकड़ भूमि आवंटित की (अप्रैल 1981)। भूमि का कब्जा देते हुए नोएडा ने भेल को निकटवर्ती 15 एकड़ भूमि का स्वामित्व सौंपा जिसे नोएडा द्वारा शॉपिंग कम्प्लेक्स /विद्यालय/पार्क/सड़क आदि के लिए उपयोग किया जाना था। इस निकटवर्ती 15 एकड़ भूमि में से नोएडा ने भेल को विद्यालय के लिए ₹ 4.51 लाख में 1.5 एकड़ भूमि आवंटित की (जुलाई 1987) जिसके लिए पट्टा विलेख को मई 1989 में निष्पादित किया गया था।

भूमि के संरक्षण के लिए, भेल ने इसको आवंटित भूमि के साथ-साथ नोएडा से संबंधित निकटवर्ती भूमि को कवर करने वाली एक चार दीवारी का निर्माण किया (1989-90)। यद्यपि इस चार दीवारी का निर्माण करते समय भेल ने अपने कब्जे के तहत अपने निर्माण को 30 एकड़ भूमि से अधिक बढाया। नोएडा ने भेल से इस चारदीवारी को समाप्त करने के लिए कहा (नवम्बर 1992)। भेल ने नोएडा को सूचित किया (नवम्बर 1992) कि सुरक्षा मामलो के संबंध में चारदीवारी की जगह बदली नहीं जा सकती। भेल के साथ भूमि के संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2000) के दौरान, नोएडा ने पाया कि नोएडा द्वारा सौंपी गई 30 एकड़ भूमि के प्रति 31.22 एकड़ क्षेत्र भेल के कब्जे में थी। तदनुसार, नोएडा ने भेल द्वारा रखी गई 1.22 एकड़ अधिक भूमि के प्रति ₹ 3.45 करोड़ की मांग जारी की (फरवरी 2001)। तथापि, भेल ने नोएडा को इस भूमि की कीमत का भुगतान करने से इस आधार पर मना किया कि अतिरिक्त भूमि केवल सामान्य/समाज कल्याण /खुले क्षेत्र हेतु थी। नोएडा ने इसे स्पष्ट किया (अक्तूबर 2002) कि भेल को या तो चारदीवारी हटानी चाहिए या प्रचलित दरो पर 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए देयो

का भुगतान करना चाहिए। तथापि, भेल को अभी मामले पर निर्णय लेना था तथा नोएडा द्वारा भेल को आवंटित 15 एकड़ प्लॉट का पट्टा विलेख अभी तक अनिष्पादित था (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि समय के साथ सर्कल दरो में वृद्धि के कारण भेल अब अपने पास रखी 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि के संदर्भ में नोएडा द्वारा फरवरी 2001 में पहले ही मांग किए गए ₹ 3.45 करोड़ के बजाय ₹ 48.89 करोड़ (सेक्टर 17 नोएडा जहां प्लाट स्थिति है, के लिए लागू अगस्त 2014 की नोएडा सर्कल दर के अनुसार) की अनुमानित राशि की संभावित देयता का सामना करता है।

भेल ने कहा (फरवरी 2013) कि अगस्त 1982 से नोएडा के बार-बार दोहराने तथा अनुसरण के बावजूद पट्टा विलेख को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा उन्होंने अपने स्वामित्व के तहत अतिरिक्त 1.22 एकड़ भूमि के लिए शुल्क का भुगतान करने की इच्छा वयक्त की थी तथा नोएडा को पट्टा राशि तथा अन्य देयो को सूचित करने का अनुरोध किया था (दिसम्बर 2012)। भेल ने आगे कहा (दिसम्बर 2014) कि पट्टा विलेख के क्रियान्वयन तथा अतिरिक्त भूमि (1.22 एकड़) की कीमत तथा अन्य देयो पर बातचीत करने के लिए गठित (फरवरी 2013) समिति का मत था (अप्रैल 2014) कि सामान्य क्षेत्र (सड़क तथा सड़क के किनारे) के रूप में 1.22 एकड़ भूमि नोएडा से संबंधित थी तथा 1.22 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए भुगतान करना अनावश्यक था क्योंकि भेल द्वारा भूमि आवसीय उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

उत्तर ने संकेत दिया कि काफी समय बीत जाने के पश्चात भी, भेल अभी भी 1.22 एकड़ अतिरिक्त भूमि की कीमत के लिए भुगतान करने या इसे नोएडा को सौंपने के मामले पर दुविधा में था। इसके अलावा, एक उचित वरिष्ठ स्तर पर तथा मंत्रालय के हस्तक्षेप जो नहीं किया गया था, के माध्यम से संभव काफी समय से लम्बित मामले को लेना भेल के हित में था। इसके परिणामस्वरूप भेल अब ₹ 45.44 करोड़ (अगस्त 2014 से लागू नोएडा सर्कल दर पर आधारित ₹ 48.89 करोड़ के अनुमानित मूल्य के लिए अक्तूबर 2002 में ₹ 3.45 करोड़ की मांग में वृद्धि) की अतिरिक्त संभावित देयता का सामना कर रहा है जबकि भूमि के अन्यथा वास्तविक शीर्षक से भेल को वंचित करते हुए भेल को आवंटित भूमि के 15 एकड़ प्लाट के लिए पट्टा विलेख अभी तक अक्रियान्वित था (जनवरी 2015)।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

1.2 विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारो के भुगतान के प्रति परिहार्य व्यय

हैवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद ने मुम्बई बन्दरगाह से आयातित सामग्री की निकासी में असामान्य विलम्ब के कारण विलम्बन एवं अवरोधन प्रभारो के भुगतान के प्रति ₹ 16.27 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सीमाशुल्क नियमावली 2013 के अनुसार, माल के आयातकर्त्ता को निर्धारित रूप से घरेलू खपत या वेयरहाउसिंग के लिए प्रविष्टि बिल को फाइल करके सीमाशुल्क स्टेशन पर आयात समान्य मालसूची (आईजीएम) में वर्णित विवरणो के अनुसार माल के आगमन के पश्चात सीमाशुल्क निकासी औपचारिकताओ को पूरा करना आवश्यक है।

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 48 के अनुसार पोर्ट पर माल की उत्तराई के पश्चात, उसकी निर्धारित समय के अन्दर आयातकर्त्ता द्वारा निकासी की जानी है अथवा पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहित विलम्बन प्रभार को व्यय किया जाना है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अनुसार मेजर पोर्टों के टैरिफ प्राधिकरण ने दिनांक 31 मई 2000 के आदेश संख्या 77 द्वारा अधिसूचित किया कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के मामले में, माल की निकासी के लिए स्वीकृत समय तीन कार्यकारी दिवस या इन तीन कार्यकारी दिवसो की समाप्ति पर पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहित विलम्बन शुल्क का आयातकर्त्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, कंटेनरो के लिए अवरोधन प्रभार शिपिंग एजेंटो को अनुबंधात्मक वितरण अवधि से अधिक भुगतान किया जाना है।

क्षेत्रीय परिचालन डिविजन (आरओडी), मुम्बई, भेल की एक इकाई निकासी एजेंटो का प्रबंध करना, माल के वितरण के लिए मालभाड़ा अग्रेषक का प्रबंध करना तथा उससे ऐसी सेवाओ के लिए भुगतान जैसी संबंधित इकाईयो के लिए सहायक कार्य करती है। बाद में आरओडी सभी आयातित खरीद आदेशो हेतु किए गए व्यय के लिए संबंधित इकाई को डेबिट नोट पास करता है। आईजीएम के फाइल करने के संदर्भ में आरओडी, मुम्बई के साथ एचपीईपी समन्वय दस्तावेज यूनिट या साइट को प्रविष्टि* के बिल और मालभाड़ा प्रबंधनो के लिए आवश्यक थे। एचपीईपी सीमाशुल्क की निकासी तथा लागू कर रियायतें देने का दावा करने के दस्तावेज अग्रेषित भी करता है। एचपीईपी को पोर्ट पर खेप के लोड होने से पूर्व आरओडी के साथ आवश्यक दस्तावेजो की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है।

** हस्ताक्षरित बीजक प्रति, पैकिंग लिस्ट, लोडिंग के बिल/एयरवे बिल, आयात लाइसेंस, क्रेडिट लेटर, मूल प्रमाणपत्र ,बीमा दस्तावेज, मशीनरी की तकनीकी राइट अप, स्पेयर आदि।*

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2010-14 के दौरान मुम्बई पोर्ट पर प्राप्त एचपीईपी द्वारा दिए आर्डर के 144 आयातित खेपो की निकासी में 19 दिनो से 520 दिनो के बीच तीन कार्यदिवसो से अतिरिक्त असामान्य विलम्ब निम्नलिखित कारणो की वजह से था:

- 63 खेपो के संबंध में आरओडी, मुम्बई को सीमाशुल्क का मोड ऑफ एस्सेसमेंट (एमओए) जारी करने में विलम्ब;
- 15 खेपो के संबंध में आवश्यक आयात दस्तावेजो की देर से प्रस्तुति ;
- सीमाशुल्क स्पष्टीकरण/10 खेपो के संदर्भ में संशोधित बीजको एवं लाइसेंसो की प्रस्तुति में विलम्ब ;
- सीमाशुल्क वेयरहाउस/हाई सी सेल/बीई संशोधनो में बांडिड माल, 10 खेपो के संदर्भ में आयात लाइसेंस की देर से प्राप्ति, तथा
- 46 खेपो के संदर्भ में विलम्ब का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, आरओडी, मुम्बई तीन दिनो के अपेक्षित समय के अन्दर खेपो की निकासी नहीं कर सका जिसके कारण 2010-14 की समयावधि के दौरान एचपीईपी द्वारा ₹16.27 करोड़ के विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारो का भुगतान हुआ।

एचपीईपी ने तथ्यो तथा ऑकडो पर बहस न करते हुए अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारो को एमओए की अनुपलब्धता, सामग्री की प्राप्ति के समय दस्तावेजो तथा लाइसेंसो की अनुपलब्धता, यातायात की सुविधा के अभाव आदि के कारण व्यय किया गया था। इसके अलावा, भेल ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि संबंधित एजेंसियो से सदस्यो को शामिल करने वाली एक क्रॉस फंक्शनल टीम (सीएफटी) को मामलो पर ध्यान देने तथा तंत्र में सुधार का परामर्श देने तथा यूनिट पर विलम्बन तथा अवरोधन प्रभारो को कम करने के लिए गठित किया गया है। इसके अलावा, यह उत्तर दिया गया कि केवल 4 मामलो मे 350 दिनो से अधिक (विलम्बन/अवरोधन प्रभार ₹ 65 लाख व्यय किया गया) तथा एक मामले को 520 दिनो से अधिक (विलम्ब शुल्क ₹ 3.25 लाख) में निपटाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि:-

- सीमाशुल्क प्राधिकारियों एवं विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की ओर से विलम्ब जिन्होंने तकनीकी विवरण पर प्रश्न उठाए, मूल बैंक सत्यापित बीजक जिसमें अधिक समय लगा, सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने परियोजना आयात

पंजीकरण अर्थात आयातित मदो के विवरण की मद सूची, सामग्री की परिवर्तित आवश्यकता के कारण व्यक्तिगत पीओ पंजीकरण, 2010 के दौरान सीमाशुल्क निकासी प्रक्रिया में परिवर्तन, के लिए दस्तावेजो की संवीक्षा करने में समय लिया;

- अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने में ग्राहको की ओर से विलम्ब;
- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में परिवर्तन के कारण अग्रिम लाइसेंस के मामले में जारी मूल परियोजना प्रमाणपत्र में संशोधन;
- एक लाइसेंस से संबंधित कार्गो एक ही समय परन्तु विभिन्न बन्दरगाह स्थलों (जेएनपीटी, मुम्बई पोर्ट, मुम्बई /दिल्ली एयरपोर्ट) पर पहुंचती है अंततः जिसके कारण सीमाशुल्क निकासी गतिविधियों को श्रेणी में किया जाना है।

उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की आवश्यकता हैं:-

- यह एक ज्ञात तथ्य था कि आयातित खेप की निर्धारित समय अर्थात तीन कार्यदिवसो के अन्दर निकासी करनी थी तथा यह विलम्ब से बचने के लिए एक उपयुक्त परिचालन प्रक्रिया के निर्माण हेतु यूनिट के लिए अनिवार्य था। इसका प्रयास केवल जनवरी 2014 में किया गया था।
- उक्त वर्णित रूप में अन्य कारण आयातित सामग्री की निकासी के लिए दस्तावेजों की प्रस्तुति में प्रक्रियात्मक चूके थी जिससे उपयुक्त रूप से निर्मित परिचालन प्रक्रिया को अपना कर बचा जा सकता है।
- यद्यपि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार एफटीपी की प्रक्रियाओं में परिवर्तन था, तथापि पोर्ट से माल की निकासी के लिए अनुमत अनुबंधित समय तीन कार्यकारी दिवस रहा। इसलिए तीन कार्यकारी दिवसो के अन्दर निकासी किया माल प्राप्त करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व था।

इस प्रकार, मुम्बई पोर्ट पर माल की उत्तराई करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेजो का प्रबंध करने में एचपीईपी के कारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 2010-14 की समयावधि के दौरान ₹ 16.27 करोड़ के विलम्बन तथा अवरोधन प्रभार का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय को मामला नवम्बर 2014 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

1.3 रेल वैंगन की खरीद पर निरर्थक व्यय

भेल द्वारा अपूर्ण योजना तथा बाद में 28 एक्सल विशेष रेल वैगन का उपयोग न होने के परिणामस्वरूप वैगन की खरीद पर ₹ 12.04 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने अपने थर्मल उत्पादन सेट निर्माण सुविधाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को स्वीकृति दी (जून 2009) जिसमें इसके हैवी इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट प्लांट (एचईईपी), हरिद्वार के लिए 600/660 एमडब्ल्यू टर्बो जनरेटर (टीजी) स्टेटरो के परिवहन हेतु 28 एक्सल विशेष रेल वैगन (वैगन) एवं केरियर लोडिंग बीम की खरीद शामिल थी। इस वैगन को सड़क की तुलना में सुरक्षित तथा मितव्ययी परिवहन साधन उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित किया गया था क्योंकि इसे संकीर्ण सड़को पर मोड़ो, आपत्तियों/दुर्घटनाओं तथा मानसून के मौसम में जोखिमो को कम करने के अलावा सड़को को मजबूत करने, बाईपास बनाने, पुलो के पुन: व्यवहार आदि से संबंधित क्रियाकलापो की आवश्यकता नहीं थी।

इसी बीच, हीप हरिद्वार ने भी तमिलनाडु इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड (टीएनईबी) को जून 2010 तक वितरित की जाने के लिए निर्धारित 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर के मौजूदा आर्डर की आपूर्ति के लिए उक्त वैगन के उपयोग की योजना बनाई। तदनुसार हीप हरिद्वार ने वैगन की आपूर्ति के लिए झांसी में अपनी सहायक यूनिट भेल पर एक एकल संविदा निरीक्षण आरम्भ किया (मई 2009) तथा बाद में 24 माह का निर्धारित वितरण उद्धरित करने वाला अपना ऑफर प्रस्तुत किया (जून 2009)। टीएनईबी को 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर के निर्धारित वितरण को ध्यान में रखते हुए, हीप हरिद्वार ने भेल झांसी को वितरण अवधि कम करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2009)। बाद में वितरण अवधि को 24 माह से 18 माह तक कम करने के लिए सहमत हुए (फरवरी 2010)। ₹ 7.95 करोड़ मूल्य का एक क्रय आदेश (पीओ) भेल झांसी को 25 सितम्बर 2011 तक वैंगनो के निर्धारित वितरण के साथ जारी किया गया था (मार्च 2010)।

हीप हरिद्वार ने भी यूरो 383871.38 (₹ 2.83 करोड़ लैंडिड लागत) के मूल्य पर इस वैंगन से जुडने वाले कैरियर लोडिंग बीम की खरीद के लिए मै. टकरक जीएमबीएच, जर्मनी को एक क्रय आदेश दिया (फरवरी 2010)। हीप हरिद्वार में मार्च 2012 में कैरियर लोडिंग बीम प्राप्त किया गया था जबकि वैगन को सितम्बर 2011 के निर्धारित वितरण से 7 माह के विलम्ब के पश्चात केवल अप्रैल 2012 में प्राप्त किया गया था।

₹ 12.04 करोड़* की लागत के वैगन को अंतिम रूप से भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संस्थान, लखनऊ द्वारा निरीक्षण के पश्चात नवम्बर 2012 में चालू किया गया था।

जैसाकि वैगन की खरीद प्रक्रिया विलम्बित थी अत: हीप हरिद्वार को जून 2011 में सड़क द्वारा टीएनईबी को 600 एमडब्ल्यू टीजी स्टेटर की आपूर्ति करनी पड़ी। नवम्बर 2012 में वैगन के चालू होने के पश्चात भी वैगन का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका (जनवरी 2015) क्योंकि वैगन को मुख्य रूप से डिजाइन किया गया था तथा इसे रेलवे साइडिंग, ट्रेक के दोनो तरफ आरसीसी प्लैटफार्म, खेप की उत्तराई की सुविधा तथा भारतीय रेलवे से ओवर डिमेन्शनल क्लीयरेंस (ओडीसी) प्रमाणपत्र जैसी अपेक्षित सुविधाओ के साथ केवल साइटो पर उपयोग किया जा सकता है। ऊंचाई/चौड़ाई बाधाओं, पुल मार्गो के सीमित होने, लोडिड वैगन की लम्बाई की वजह से ट्रेक की टर्निंग में बाधाओं, लोडिड वैगन की सीमित अधिकतम गति तथा यात्री ट्रेन ट्रैफिक/माल ट्रेन ट्रैफिक की अधिक भीड़ के कारण ओडीसी केवल कुछ जगहो पर ही संभव है। जैसाकि न केवल टीएनईबी को टीजी स्टेटर सड़क द्वारा भेजा जाना था अपितु हीप हरिद्वार को भी 600 एमडब्ल्यू तथा इससे अधिक के अन्य टीजी स्टेटरो के 15 खेपो को मालभाड़े के रूप में ₹ 17.36 करोड़ का व्यय करते हुए दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान सड़क द्वारा वितरित करना पड़ा था। इस प्रकार खरीद में विलम्ब तथा परिचालन तौर तरीको की दोषपूर्ण योजना तथा भारतीय रेलवे से आवश्यक क्लियरेंस के कारण ₹ 12.04 करोड़ की लागत पर खरीदे गए वैगन तथा सहायक कैरियर लोडिंग बीम को इसकी खरीद के आरम्भिक निर्णय के पांच वर्षों से अधिक के पश्चात भी सार्थक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

भेल (नवम्बर 2014/जनवरी 2015) तथा भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (मार्च 2015) ने कहा कि:

- *600* एमडब्ल्यू तथा इससे अधिक क्षमता के टीजी स्टेटरो हेतु लम्बित तथा आगामी ऑर्डरो के लिए ओडीसी प्राप्त करने तथा वैगन के उपयोग के लिए कठिन प्रयास किए जा रहे थे। वर्तमान में, प्रयागराज परियोजना के लिए टीजी स्टटरो को वैगन पर लोड किया गया था तथा वितरित किया जा रहा था, तथा

---

* *वैगन के संदर्भ में उत्पादन शुल्क, मालभाड़, आकस्मिक तथा परामर्श शुल्क तथा कैरियर लोडिंग बीम के संदर्भ में समुद्री/वायु मालभाड़े तथा आकस्मिक प्रभारो के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात ।*

- रेल द्वारा उसके वैगन में टीजी स्टेटरो के परिवहन में रेलवे को देय मालभाड़ा, ट्रांस-शिपमेंट (लदान/उत्तराई), साइट के लिए रेल शीर्ष से सड़को के निर्माण आदि के कारण अधिक लागत सम्मिलित है।

उत्तर को इन तथ्यो के प्रति देखा जाना है कि:

- परिवहन के सुरक्षित तथा मितव्ययी साधन प्रदान करने के लिए योजनित वैगन को जनवरी 2015 तक उपयोग नहीं किया गया था भले ही इसे चालू होने के दो से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी तथा इसके चालू होने के पश्चात भेजे गए सभी 15 खेपो को केवल सड़क द्वारा वितरित किया गया। ओडीसी पर प्रतिबंधो तथा देश में रेलवे साइडिंगो पर अपेक्षित बुनियादी सुविधाओ की उपलब्धता पर सीमाओ के कारण, वैगन को भविष्य में सार्थक उपयोग में लगाना भेल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के अनुरोध पर (जनवरी 2015) भेल ने स्वयं के रेल वैगन की तुलना में सड़क द्वारा परिवहन के माध्यम से टीजी स्टेटरो के परिवहन की संभावित लागत बचत का विश्लेषण प्रदान नहीं किया ताकि सड़क के माध्यम से वितरित खेपो पर निवल अतिरिक्त व्यय प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार, वैगन की खरीद के लिए दोषपूर्ण योजना ने सुरक्षित तथा मितव्ययी परिवहन की सुविधा से भेल को वंचित करने के अलावा ₹ 12.04 करोड़ का निरर्थक निवेश किया था।

1.4 बिक्री कर के भुगतान के लिए निधियो का अवरोधन

कारोबार पर कर की रियायत प्राप्त करने के लिए फार्म सी के शीघ्र संग्रहण में हैवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद की विफलता के परिणामस्वरूप 8 माह से 5 वर्षों के बीच की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान के प्रति ₹ 9.67 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 तथा सीएसटी पंजीकरण तथा कारोबार (आरएंडटी) नियमावली 1957 के अन्तर्गत, राज्य के पंजीकृत डीलर फॉर्म सी में वर्णित घोषणाओ की प्रस्तुति के प्रति अन्तर राज्य संव्यवहारों पर कर रियायतो तथा छूटो को नियत करने के योग्य है। निर्धारितियों को देय तिथियों पर या उससे पूर्व बिक्री कर प्राधिकारियों (प्राधिकरियों) को बिक्री कर जमा करना अपेक्षित है। निर्धारित प्रोफार्मा में बिक्री कर विवरणी को बनाने तथा प्रत्येक माह प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिक्री कर को पंजीकृत डीलर द्वारा जारी होने वाले फॉर्म सी के प्रति

अन्तर राज्य बिक्रियो पर रियायती दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए। सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 8(4)(क) अनुबंधित करती है कि कर की रियायती दर केवल तभी लागू होगी यदि निर्धारिती वर्णित फार्म सी में एक घोषणा प्रस्तुत करें।

जैसाकि आंघ्र प्रदेश में वितरित माल हेतु लागू बिक्री कर 14.5 प्रतिशत था अत: प्राधिकारियों को फार्म सी की प्रस्तुति न करने से पहले ही उद्धग्रहित दो प्रतिशत सीएसटी के अतिरिक्त 12.5 प्रतिशत अधिक बिक्री कर आकृष्ट हुआ। चूंकि एचपीईपी अन्तर राज्य बिक्री के लिए दो प्रतिशत दरदोपर सीएसटी (अर्थात रियायती दर* पर) का भुगतान कर रहा था अत: इसे प्राधिकरियो को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ग्राहक रियायती दर पर ये माल प्राप्त करने का पात्र होगा। अन्यथा एचपीईपी को लागू रूप में शेष देय बिक्री कर के साथ जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से एचपीईपी को अपने ग्राहको से शीघ्रता से फार्म सी का संग्रहण तथा ऐसे मामले जहां फार्म सी प्राप्त नहीं हुआ था, में अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एचपीईपी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 (पूर्ण) के लिए ₹ 9.67 करोड़ (₹ 32.99 करोड के मांग नोटिस के प्रति बिक्री कर की भिन्नता दर होने के नाते) का व्यय किया। अभिलेखो की जांच से पता चला कि एचपीईपी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (पूर्ण) के लिए ₹ 340 करोड़ (2009-10 में ₹ 214 करोड तथा 2010-11 में ₹ 126 करोड़) के रियायती कारोबार के लिए फार्म जी का संग्रहण नहीं किया और इसे प्राप्तिकारियों को प्रस्तृत नहीं किया। तथापि, एचपीईपी ने निर्धारण प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात ग्राहको से ₹ 214 करोड़ (वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 158 करोड़ तथा वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 56 करोड़) के कुल कारोबार के लिए फार्म सी का संग्रहण किया। इसने ₹ 126 करोड़ (2009-10 के लिए ₹ 56 करोड़ तथा 2010-11 के लिए ₹ 70 करोड़) के शेष कारोबार के लिए फार्म सी का संग्रहण नहीं किया। ₹ 126 करोड़ के इस शेष कारोबार में से, दो प्रमुख ग्राहको अर्थात (डीवीसी कोडर्मा से ₹ 74 करोड़ तथा पीपीसीएल से ₹ 34 करोड़) से ₹ 108 करोड़ के फार्म सी की प्राप्ति लम्बित थी।

भेल ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2015) कि (i) लम्बित फार्म सी की समीक्षा नियमित आधार पर की जा रही है तथा लम्बित फार्म सी के संग्रहण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं, (ii) संबंधित वर्षों के लिए अपीले अभी भी है तथा भेल पूर्व-डिपॉजिट राशि

** क्रेता डीलर प्री-प्रिंटिंड फार्म में एक घोषणा प्रस्तुत करके ऐसे लेन-देनो को सुनिश्चित करता है कि उसने बीजक, मद उद्देश्य आदि जैसा सार विवरण देकर ऐसा माल प्राप्त किया है।*

के प्रतिदाय का पात्र है, इसलिए ₹ 9.67 करोड़ राशि को तब तक अतिरिक्त व्यय के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता जब तक मामले को अंतिम अपीलीय प्राधिकारण द्वारा समाप्त न किया जाए, (iii) डीवीसी कोडर्मा तथा पीपीसीएल के मामले में, यूनिट ने फार्म सी के संग्रहण हेतु ग्राहको के लगातार सम्पर्क किया गया है।

उत्तर की निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा की जाने की आवश्यकता है:

- यद्यपि एचपीईपी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवाद लम्बित अपील के तहत ₹ 9.67 करोड़ की अतिरिक्त मांग का भुगतान किया है तथापि, तथ्य यह है कि फार्म सी को बिक्री कर निर्धारण प्रक्रियाओं की पूर्णता से पूर्व ग्राहक से संग्रहित किया जाना था।
- एचपीईपी ने स्वयं को एक परिहार्य स्थिति में डाल दिया है अब जबकि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना पूर्ण रूप से इसके ग्राहको पर निर्भर है जो एक बेहत्तर कार्य प्रणाली नहीं है।

इस प्रकार, एचपीईपी की इसके ग्राहको से फार्म सी के शीघ्र संग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप 8 माह से 5 वर्षों के बीच की अवधि हेतु बिक्री कर के भुगतान के लिए ₹ 9.67 करोड़♦। की निधियो का अवरोधन हुआ।

मार्च 2015 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

1.5 सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति के बिना मूल्य भिन्न्ता के आहरण के कारण हानि

भेल द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयातित सामग्री पर विनिमय दर भिन्नता हेतु निविदा शर्त के अवांछित आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ की हानि हुई।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने रिएक्टेड हैडर एसेमबली सेट के चार सेट, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी) प्रत्येक के लिए दो सेटो के निर्माण, आपूर्ति, वितरण तथा गारंटी के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से त्रिची में अपने हैवी प्रैशर बॉयलर प्लांट (यूनिट) के माध्यम से ₹ 99.30 करोड़ की कुल लागत पर दो

♦ *2006-07 -₹ 1.68 करोड़, 2007-08 -₹ 1.95 करोड़, 2008-09 - ₹ 3.23 करोड़, 2009-10-₹ 1.39 करोड़ 2010-11-₹ 1.42 करोड़।*

ऑर्डर प्राप्त किए (अक्तूबर 2010)। आपूर्ति को अप्रैल तथा अक्तूबर 2012 तक पूरा किया जाना था जिसे केएपीपी तथा आरएपीपी हेतु क्रमश: अक्तूबर तथा दिसम्बर 2014 तक बढ़ा दिया गया । संविक्षा दस्तावेज में सम्मिलित करार की सामान्य शर्तो (जीसीसी) के खण्ड 5.4.3 के अनुसार, मूल्य समायोजन को जीसीसी के खण्ड 5.5 में निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार पूर्वकार्य मूल्य के +/-20 प्रतिशत की सीमा तक आयातित सामग्री घटको* पर स्वीकृति दी जाएगी।

आर्डर के लिए बोली लगाते समय, यूनिट ने मूल्य भिन्नता (पीवी) से संबंधित संविदा शर्त को माना तथा कुल पूर्व कार्य मूल्य ₹ 98.73 करोड़ तक अनुमानित किया गया था (मार्च 2010) जिसमें ₹ 62 प्रति यूरो की विनियम दर (फरवरी 2010) पर विचार करते हुए ₹ 61.81 करोड़ के एक आयात घटक सम्मिलित थे। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, एनपीसीआईएल ने जीसीसी के खण्ड 5.4 एवं 5.5 की अशर्त स्वीकृति की मांग की (अप्रैल 2010) परन्तु यूनिट के वाणिज्यिक प्रबंधन ने एनपीसीआईएल को इसकी पुष्टि की (मई 2010) कि सामग्री भाग स्थिर था तथा इससे आयातित सामग्री पर विनिमय दर भिन्नता के प्रति सुरक्षा को वापिस लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात कार्यकारी निदेशक (ईडी) की स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस निर्णय को सूचित किया। चूंकि मूल्य अनुमानो को यूनिट के ईडी द्वारा स्वीकृत किया गया था, अत: इसमें कोई भी परिवर्तन ईडी की स्वीकृति से किया जाना चाहिए। इसी बीच, यूनिट ने बोली प्रस्तुति के समय अनुमानित ₹ 62 प्रति यूरो के प्रति विनिमय दर भिन्नता जो ₹ 69.12 तथा ₹ 78.38 प्रति यूरो के बीच थी, के कारण ₹ 11.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करते हुए मई 2012 से जून 2013 की समयावधि के दौरान यूरो 97.98 लाख (₹ 72.67 करोड़) मूल्य की सामग्री का आयात किया। परिणामस्वरूप, यूनिट ने आयातित सामग्रियों पर विनिमय दर भिन्नता पर पीवी के आहरण के कारण ₹ 7.38 करोड़ की हानि उठाई ।

यूनिट ने कहा (अक्तूबर 2014) कि ऑफर की प्रस्तुति के समय, विनिमय दरे गिरावट पर थी तथा इसे ध्यान में रखते हुए विनमय दर भिन्नता को पीवी खण्ड के लिए माना नहीं गया था। तकनीकी मूल्यांकन अवधि के दौरान, बाजार अस्थिरता के कारण यूरो ₹ 62 प्रति यूरो जिस पर बोली प्रसतुत की गई थी, के प्रति ₹ 58 था। तथापि, तथ्य यह है कि विनिमय दर भिन्नता सुरक्षा संविदा शर्तों में उपलब्ध थी तथा एनपीसीआईएल से किसी आग्रह के बिना प्रबंधन, वाणिज्यिक यूनिट ने अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार स्थिति में तीन माह की पद्धति के आधार पर इसका पूर्णतया आहरण किया तथा यह आशा

** सामग्री तथा श्रम के विभिन्न प्रकार के गुणांको के शामिल एक तक जोड़े जाने के लिए*

व्यक्त की कि यह दो वर्षों से अधिक की अनुबंध अवधि को जारी रखेगा जो कम्पनी के वित्तीय हितो के लिए हानिकारक साबित हुआ। इसके अतिरिक्त, राजस्व पर अधिक प्रभाव वाले ऐसे एक महत्वपूर्ण निर्णय को सूचित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयातित सामग्रियो पर विनिमय दर भिन्नता के लिए निविदा शर्त के अनापेक्षित आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ की हानि हुई।

मंत्रालय को अक्तूबर 2014 में मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1.6 पर्याप्त वित्त के बिना आरंभ की गई परियोजना विस्तार गतिविधियों के कारण निष्फल निवेश हुआ।

गैर-संचालन यूनिटो की बिक्री सुविधा के लिए प्रभावी उपायो के माध्यम से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विस्तार गतिविधियों में जोखिम के परिणामस्वरूप ₹ 26.60 का निष्फल निवेश हुआ।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कम्पनी) को पुन: बनाने के लिए, औद्योगित तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने अन्य बातो के साथ-साथ ₹ 90.51 करोड़ के निवेश के साथ कम्पनी की बोकाजन (असम) यूनिट के विस्तार की परिकल्पना वाली एक योजना (दी स्कीम) को मंजूरी दी (3 मई 2006)। योजना के अनुसार विस्तार कार्य को प्रथम चरण में भारत सरकार के वित्तपोषण (₹ 20.02 करोड़) तथा द्वितीय चरण में कम्पनी की सात गैर-परिचालन यूनिटो की बिक्री प्रक्रियाओं से ₹ 70.49 करोड़ के शेष द्वारा आंशिक रूप से किया जाना था। चूंकि बोकाजन यूनिट का आंशिक विस्तार व्यवहार्य नहीं था अत: कम्पनी ने एक चरण में विस्तार परियोजना को करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने मै. प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रिज लिमिटेड (दी कान्ट्रेक्टर) को ₹ 142.40 करोड़ की कुल लागत पर एलओआई की तिथि से 18 माह के अन्दर पूर्ण होने के लिए टर्की आधार पर बोकाजन यूनिट के विस्तार के लिए लेटर ऑफ इन्टेंट (एलओआई) जारी किया (24 सितम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि परियोजना गतिविधियां भुगतान की शर्तों के अनुसार क्रेडिट पत्र (एलसी) खोलने में कम्पनी की विफलता, ठेकेदार द्वारा खराब परियोजना संघटन, क्षेत्रो में कानून तथा व्यवस्था की समस्या तथा ऐसे ही कारको के कारण प्राथमिक शुरूआत से निर्धारित के पीछे था। इसी बीच, सात गैर-संचालन यूनिटो की परिसम्पत्तियों की बिक्री ₹ 15.22 करोड़ मूल्य की भूमि के शीर्षक विलेखो के अभाव तथा 2,737.10 एकड़ (योजना की मंजूरी के समय पर समाप्त) माप की भूमि के खनन पट्टे के समाप्त होने के कारण नहीं हुई। कम्पनी ने पुष्टि की कि यद्यपि गैर परिचालन यूनिटो की बिक्री के लिए 2008 से प्रयास किए गए थे तथापि, ये सफल नहीं हो सके क्योंकि सभी सफल बोलीदाताओं ने खनन पट्टे के नवीकरण, संबंधित राज्य सरकारो के सांविधिक देयो की निकासी तथा भूमि के शांतिपूर्वक हस्तांतरण की मांग की। कम्पनी वित्तीय संकट के कारण ठेकेदार के बिलो को चुकाने में सक्षम नहीं थी जिसने अंतिम रूप से ठेकेदार को सभी परियोजना गतिविधियों को निलंबित (मई 2014) करने के लिए मजबूत किया। कम्पनी ने अभी तक (मार्च 2015) विस्तार गतिविधियों पर ₹ 26.60 करोड़ का व्यय किया था।

कम्पनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि (i) सात गैर-परिचालन यूनिटो की बिक्री बेहतर प्रयासो के बावजूद भी नहीं की जा सकी जिसने विस्तार कार्य को जोखिम में डाला, (ii) व्यय मूलधन प्रकृति का था तथा परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक था और इसका लाभप्रद उपयोग करना होगा, तथा (iii) इसने मामला भारी उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया था तथा गैर-परिचालन यूनिटो की बिक्री पर प्रतिदाय योग्य बीई 2015-16 में ₹ 95.40 करोड़ की सहायता मांगी थी।

उत्तर इस तथ्य को नहीं लेता कि कम्पनी भूमि के शीर्षक विलेखो को नियमित करने तथा पट्टा लाइसेंस के नवीकरण में विफल हुई थी भले ही इसमें योजना की स्वीकृति से एलओआई जारी करने तक चार वर्ष थे। कम्पनी यह जानती थी कि इन मामलो को गैर परिचालन यूनिटो की बिक्री की सुविधा के लिए सुधारा जाना था। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अधिक प्रगति किए बिना, कम्पनी ने विस्तार गतिविधियों को करने का साहस किया जिसने इसे एलसी खोलने तथा ठेकेदार के बिलो को चुकाने के लिए विवश किया। कम्पनी के अनुमान (मई 2014) के अनुसार, लागत वृद्धि के बिना परियोजना को पूरा करने के लिए कम से कम ₹ 216 करोड़ आवश्यक थे (दिए गए कार्यो सहित)। इसके अलावा, बोकाजन यूनिट की व्यवहार्यता संदिग्ध थी क्योंकि घाटे से अधिशेष के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मांग परिदृश्य को बदलने के लिए उत्तरी पूर्व (एनई) क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के साथ अधिक क्षमता वृद्धि हुई थी। इसलिए, यह संभव है कि कम्पनी निकट भविष्य में सात गैर परिचालन यूनिटो को बेचने की स्थिति में नहीं होगी तथा विशेष रूप

से कठिन प्रतिस्पर्धा और अधिक परिचालन लागत के साथ चुनौतीपूर्ण बाजार माहौल की पृष्ठ भूमि में वित्तीय सहायता हेतु मंत्रालय को मनाएगा।

इस प्रकार, गैर परिचालन यूनिटो की बिक्री की सुविधा के लिए प्रभावी उपायो के माध्यम से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना विस्तार गतिविधियों को करने के परिणामस्वरूप ₹ 26.60 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड

1.7 निष्क्रिय निवेश

कम्पनी ने कछार पेपर मिल पर एएफबीसी बायलर चालू करने में विलम्ब के कारण 6 से अधिक वर्षों के लिए ₹ 22.07 करोड़ की अपनी निधि के अवरोधन के अलावा कोयले की खपत पर वार्षिक रूप से ₹ 4.35 करोड़ की परिचालन लागत में बचत का अवसर खो दिया।

कोयले की खपत कम करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने अपनी कछार पेपर मिल (सीपीएम) तथा नौगांव पेपर मिल (एनपीएम) प्रत्येक पर दो 50 टीपीएच मल्टीफ्यूल एफबीसी बॉयलर संस्थापित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2014) क्योंकि इसके पुराने बॉयलरो की कोयला खपत अधिक थी। मै. थर्मेक्स बेबकॉक एंड विलकॉक्स लिमिटेड पुणे को ₹ 34.97 करोड़ के कुल मूल्य पर दो पेपर मिलो के लिए दो 50 टीपीएच एएफबीसी बॉयलरो की आपूर्ति के लिए एक आर्डर दिया गया था (मई 2005)। मै. थर्मेक्स इंजीनियरिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (टीईसीसीएल), पुणे को ₹ 4.19 करोड़ की राशि के बॉयलरो के निर्माण तथा उसे चालू करने के लिए पृथक आर्डर भी दिया गया था (मई 2005)। बॉयलर जुलाई 2007 तक चालू होने के लिए नियत थे। यह परिकल्पित किया गया कि प्रत्येक बॉयलर के संस्थापन द्वारा ₹ 4.35 करोड़ की वार्षिक बचत होगी।

कम्पनी को सीपीएम पर बॉयलर के चालू करने के लिए टीईसीसीएल को 'सिविल फ्रान्ट' प्रदान करने थे जो खराब मिट्टी की स्थिति की वजह से प्रतिकूल मौसम स्थिति तथा अतिरिक्त संग्रहण कार्य के कारण विलम्बित (18 माह) हुआ। टीईसीसीएल ने विलम्ब के लिए ₹ 0.90 करोड़ की मूल्य वृद्धि का दावा किया (दिसम्बर 2008)। 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात, टीईसीसीएल ने साइट छोड दी (अक्तूबर 2009) तथा

बॉयलर के उन कुछ घटको को बदलने की सूचना (नवम्बर 2009) कम्पनी को दी जो लम्बी अवधि के लिए अनुपयुक्त भंडारण के कारण क्षरित/नष्ट हो गई थी। कम्पनी ने ₹ 0.31 करोड़ मूल्य पर घटको की खरीद की तथा टीईसीसीएल को शेष कार्य की बहाली का अनुरोध किया (सितम्बर 2010)। तथापि, टीईसीसीएल ने सूचित किया (मार्च 2011) कि वे मूल्य वृद्धि के प्रति अपने दावे के निपटान के पश्चात ही कार्य पुनः प्रारम्भ करेंगे। टीईसीसीएल ने आगे कम्पनी का बताया (जून 2012) कि मौजूदा कार्य आर्डर के अनुसार शेष कार्य का मूल्य ₹ 0.39 करोड़ की तुलना में ₹ 1.24 करोड़ होगा तथा एक संशोधित कार्य आर्डर की भी मांग की। कम्पनी ने टीईसीसीएल के ₹ 0.47 करोड़ के दावे को स्वीकार करने का निर्णय लिया (जून 2012) तथा साइट पर कर्मचारियों की संख्या संघटित करने के पश्चात टीईसीसीएल को ₹ 0.25 करोड़ दिए। बाद में, टीईसीसीएल ₹ 0.35 करोड़ के अपने दावे को निपटाने के लिए सहमत हुआ तथा शेष निर्माण कार्य के लिए कार्य आर्डर के संशोधन के साथ ₹ 0.25 करोड़ के अग्रिम की प्राप्ति के पश्चात कर्मचारियों की संख्या संघटित की।

टीईसीसीएल के माध्यम से शेष कार्य होने के बावजूद, कम्पनी ने कार्य आर्डर रद्द किया (30 अक्तूबर 2013) तथा टीईसीसीएल के जोखिम तथा लागत पर ₹ 1.46 करोड़ की लागत पर बॉयलर के निर्माण, चालू करने तथा निष्पादन जांच के लिए मै. एम.एस. इरेक्टर, असम (एमएसई) को लेटर ऑफ इन्टेंट (एलओआई) जारी किया (4 नवम्बर 2013)। समापन की नियम तिथि एलओआई से 120 दिन अर्थत 4 फरवरी 2014 तक थी। तथापि, एमएसई ने अक्तूबर 2014 तक केवल 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष कार्य किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कम्पनी सीपीएम पर बॉयलर चाले करने में विफल हुई क्योंकि अक्तूबर 2009 तक केवल 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। यद्यपि टीईसीसीएल ने घटी हुई कीमत[1] पर अपने दावे का निपटान स्वीकार किया तथापि, कम्पनी ने शेष मामलो का समाधान नहीं किया तथा टीईसीसीएल के आर्डर को रद्द किया। कम्पनी ने ₹ 0.22 करोड़[2] की अतिरिक्त लागत के साथ 16 माह[3] के विलम्ब के पश्चात कार्य चालू करने के लिए अन्य पार्टी को आदेश जारी किया। इसी बीच में बॉयलर के कुछ घटक क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिन्हें एमएसई द्वारा पुष्टि के रूप में बदलने/सर्विसिंग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, बायलर की गारंटी अवधि[4] समाप्त हो गई थी तथा विक्रेता इसको चालू करने के पश्चात किसी भी खराब निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं

---

[1] ***₹ 0.90 करोड़ से ₹ 0.35 करोड़ तक***

[2] ***₹ 1.46 करोड़ -₹ 1.24 करोड़ (टीईसीसीएल द्वारा दावित)***

[3] ***जून 2012 से नवम्बर 2013 तक***

[4] ***चालू करने की तिथि से 12 माह या वितरण की तिथि से 24 माह जो भी अवधि पहले समाप्त हो।***

होगा। इस प्रकार, सीपीएम पर बायलर को चालू न करने के कारण ₹ 22.07 करोड़ (अगस्त 2014) का निवेश निष्फल था तथा कोयले की खपत को बचाने का उद्देश्य अधूरा था। संयोग से, एनपीएम पर बॉयलर को मार्च 2009 में चालू किया गया था तथा कम्पनी ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान पुराने बॉयलरो के बजाय एएफबीसी बॉयलर के उपयोग की वजह से ₹ 21.59 करोड़ मूल्य के कोयले की खपत पर बचत की थी।

कम्पनी/मंत्रालय ने दावे के साथ कहा (नवम्बर 2013/मई 2014) कि टीईसीसीएल ने कार्य पूरा करने में रूचि नहीं दिखाई थी तथा सीपीएम पर एएफबीसी बायलर को चालू करने में मुख्यत: उनके ढिलाई बरतने के कारण विलम्ब हुआ था। उपरोक्त तर्क को इस तथ्य के प्रति देखने की आवश्यकता है कि टीईसीसीएल कम्पनी द्वारा आफर किए कम मूल्य पर भी अपने दावे के निपटान के अधीन शेष कार्य पूरा करने में सहमत था। तथापि, कम्पनी ने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की तथा टीईसीसीएल द्वारा ऑफर किए मूल्य की तुलना में ₹ 0.22 करोड़ के अधिक मूल्य पर शेष कार्य के लिए अन्य पार्टी को एलओआई जारी किया। कम्पनी के मत के साथ स्पष्ट रूप से सहमत न होते हुए, मंत्रालय ने कहा कि कम्पनी का बॉयलर के चालू करने के दौरान बॉयलर के घटक यदि क्षतिग्रस्त पाए जाए, तो उनके प्रतिस्थापन की लागत को वहन करना होगा क्योंकि गारंटी अवधि समाप्त हो गई थी। इस प्रकार कम्पनी ने अपनी ₹ 22.07 करोड़ की निधियों के 6 से अधिक वर्षों से अवरोधन के अलावा सीपीएम पर एएफबीसी बायलर के आरम्भीकरण को पूरा करने में मुख्य रूप से स्वयं पर आरोप्य विलम्ब के कारण 6 से अधिक वर्षों की अवधि में ₹ 26.10 करोड़[5] के कोयले की खपत में बचत करने का अवसर खो दिया था।

सांभर साल्ट लिमिटेड

1.8 साल्ट रिफाइनरी में निरर्थक निवेश

परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में कमियो द्वारा अनुसरित तकनीकी आवश्यकताओं से समझौता करके ठेकेदार को ठेका देने के परिणामस्वरूप आठ वर्षों की समाप्ति के पश्चात भी वांछित परिणाम दिए बिना साल्ट रिफाइनरी सांभर पर ₹ 5.82 करोड़ का निरर्थक निवेश हुआ।

सांभर साल्ट लिमिटेड (कम्पनी) ने सांभर, राजस्थान में एक लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली साल्ट रिफाइनरी की स्थापना के लिए परिष्कृत/गैर-परिष्कृत, आयोडीन

[5] ₹ 4.35 करोड़* 6 वर्ष

युक्त/बिना आयोडीन वाले नमक के उत्पादन के लिए बोली आमंत्रित की (फरवरी 2006)। महत्वपूर्ण तकनीकी निविदा शर्तों में से एक यह थी कि बोलीदाता को टर्न की आधार पर सफलता पूर्वक कम से कम 15 टन प्रति घंटा (टीपीएच) से कम न होने वाली क्षमता की साल्ट रिफाइनरी चालू करनी होगी अथवा पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 5 करोड़ से कम न होने वाले मूल्य की साल्ट रिफाइनरी परियोजना क्रियान्वित करनी होगी। चारो बालीदाताओं में से किसी ने भी आवश्यक तकनीकी मापदण्ड को पूरा नहीं किया। अत: निविदा समिति ने बोलीदाताओ को बातचीत के लिए बुलाया तथा टर्न की आधार पर कार्य के प्रयोजन के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बोलीदाताओं के एक उपक्रम के आधार पर सभी बोलीदाताओं के लिए तकनीकी आवश्यकताओं में छूट की सिफारिश की। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के साथ तकनीकी शर्तों की छूट के पश्चात, टर्न की आधार पर साल्ट रिफाइनरी की स्थापना के लिए एल-1 बोलीदाता, मै. पांडियन इंजीनीयरिंग इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु (ठेकेदार) को ₹ 4.95 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर अंतिम रूप से एक मांग पत्र जारी किया गया था (अप्रैल 2006)।

कार्य देने के पश्चात, कार्य की गुणवता के साथ-साथ कार्य को समय पर पूरा करने दोनो के अनुसार ठेकेदार के निष्पादन में कमी पाई गई थी। ठेकेदार ने 13 मई 2006 की लक्षित तिथि के प्रति नवम्बर 2006 में रिफाइनरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। नवम्बर 2007 तक साल्ट रिफाइनरी की आपूर्ति, निर्माण तथा चालू करने की लक्षित तिथि के प्रति, ठेकेदार ने जून 2008 तक संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति प्रारंभ नहीं की। कम्पनी से बार-बार पत्रों के बावजूद ठेकेदार का निष्पादन धीमा था तथा ठेकेदार द्वारा स्वीकृत मई 2009 के बाद अक्तूबर 2009 के विस्तारित लक्ष्य भी चूक गए थे। कम्पनी की निदेशक समिति द्वारा ठेकेदार के साथ रिफाइनरी परियोजना की धीमी प्रगति की चर्चा की गई थी (नवम्बर 2009) जिसके दौरान ठेकेदार अंतिम रूप से दिसम्बर 2009 तक कार्य पूर्ण करने तथा 15 जनवरी 2010 से पूर्व परीक्षण प्रारम्भ करने पर सहमत हुआ।

यद्यपि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के कार्यक्षेत्र की सहमति के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया गया था तथा कुल ₹ 42.05 लाख का कार्य अक्रियान्वित रहा तथापि, रिफाइनरी को जून 2010 से सीमित उत्पादन के लिए रखा गया। ठेकेदार द्वारा आपूर्त उपकरणो में असंतुलन तथा बेमेलता थी जिसके परिणामस्वरूप परिचालन में लगातार समस्याएं हुई तथा रिफाइनरी ने कभी भी अपनी योजनित संस्थापित क्षमता पर परिचालन नहीं किया। एक लाख टन प्रतिवर्ष की योजनित संस्थापित क्षमता के प्रति जून 2010 से मार्च 2014 के दौरान रिफाइनरी पर वास्तविक साल्ट उत्पादन 5,041 टन से 19,904 टन प्रतिवर्ष के

बीच था (अर्थात केवल 11310♦ टन प्रति वर्ष का औसत उत्पादन)। ठेकेदार को कम्पनी द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार शेष प्लांट तथा मशीनरी की आपूर्ति तथा उत्पादन को स्थिर करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया। तथापि, यह नहीं किया गया। तदनुसार कम्पनी ने अध्ययन करने तथा संस्थापित क्षमता प्राप्त करने हेतु सिफारिशे देने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की (फरवरी 2014) जिसने घटिया समाग्री के उपयोग सहित कार्य के क्रियान्वयन में कई कमियां बताई तथा योजनित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए रिफाइनरी के पुराने पुर्जों को हटा कर नए लगाने का परामर्श दिया। कम्पनी ने ठेकेदार के साथ ठेका समाप्त किया (अक्तूबर 2014) तथा ठेके की शर्तो के तहत अपने जोखिम तथा लागत पर शेष कार्य करने का निर्णय लिया। यद्यपि, ₹ 3.54 करोड़ की लागत पर करने के लिए अनुमानित रिफाइनरी के पुराने पुर्तों को हटा कर नए लगाने तथा क्षमता संवर्धन का कार्य अभी देना था (जनवरी 2015)।

आगे यह पाया गया कि कम्पनी के पास न तो ठेकेदार द्वारा परियोजना के वितरण तथा क्रियान्वयन के समय पर मशीनरी तथा सामग्री के विनिर्देशो की जांच के लिए कोई व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था न ही इसने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच तथा निरीक्षण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा आपूर्त उपकरण तथा मशीनरी एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा निर्धारित अनुसार स्वीकृत निविदा विर्निर्देशों की तुलना में घटिया गुणवता की थी। इन कमियो में अन्यों के साथ-साथ उपयोग किए गए बियरिंग की घटिया ब्रांड के अलावा वेट मिल में लीकेज तथा अपनी क्षमता को कम करने वाले अन्य उपकरण, सीपेज के परिणामस्वरूप अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, ड्रायरो की अनुचित डिजाइनिंग तथा मशीनों की स्थापना, विभिन्न उपकरणो/मशीनो की खराब कार्यप्रणाली तथा ढीली वायरिंग सम्मिलित थे।

इस प्रकार, निविदा मूल्यांकन स्तर पर महत्वपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओ की छूट तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में चूको के कारण ₹ 5.82 करोड़ (रिफाइनरी की स्थापना के लिए ठेकेदार को किए जा रहे ₹ 2.98 करोड़ के भुगतान तथा भारत सरकार को देय ₹ 2.84 करोड़) की लागत पर स्थापित रिफाइनरी ने कार्य देने के आठ से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए।

कम्पनी ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) कि ठेकेदार द्वारा आपूर्त तथा संस्थापित अधिकतर उपकरण और मशीनरी घटिया किस्म की थी तथा उन्होंने आवश्यक मानकों को

♦ जून 2010 से मार्च 2014 तक 43,356 टन के वास्तविक उत्पादन के आधार पर संगणित।

पूरा नहीं किया और उसे पुन:स्थापना/पुन: संस्थापन की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया (जनवरी 2013 तथा दिसम्बर 2014) कि उनके पास परियोजना की संस्थापना तथा चालू करने के लिए आवश्यक सक्षम कर्मचारी नही थे तथा उन्होंने ठेकेदार द्वारा किए कार्य की मॉनिटररिंग तथा क्रियान्वयन के लिए कुशल/प्रशिक्षित कर्मचारी को संलग्न करने के लिए कार्रवाई भी नहीं थी।

इस प्रकार, परियोजना क्रियान्वयन स्तर पर तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग में कमियों से समझौता करते हुए एक ठेकेदार को ठेका देने के परिणामस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त किए बिना निष्फल होती जा रही रिफाइनरी में ₹ 5.82 करोड़ का निवेश हुआ।

मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में मामला सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2015)।